

TV 59



उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

U 014784

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

जय सन्त पति जी शिक्षण सेवा एवं वेलफेयर ट्रस्ट

ग्राम सभवा बहादुरपुर, पोस्ट अखौव, तहसील बैलवा रोड, जिला बलिया (उप्र), पिन - 221715
बुलन्दशही श्रीमती अम्बुसिंह ५० इन्द्रप्रकाश सिंह रा. सन्त पतुपुर अखौव

इतिवृत्त ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत एवं कालानुक्रमिक अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट-

- 1- ट्रस्ट का नाम : जय सन्त पति जी शिक्षण सेवा एवं वेलफेयर ट्रस्ट
- 2- ट्रस्ट का पता : ग्राम सभवा बहादुरपुर, पोस्ट अखौव, तहसील बैलवा रोड, जिला बलिया (उप्र), पिन - 221715
- 3- ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष और विदेशों में भी ट्रस्ट कार्य कर सकेगा।
- 4- ट्रस्ट की परिधि/घर : जब तक विषय का प्रारम्भ में कोई बाधा प्रतीत न हो इस ट्रस्ट के लिखित अधिनियम में उक्त उक्तके अधीन बने विनियमों में।

(क) "ट्रस्ट" का तात्पर्य : जय सन्त पति जी शिक्षण सेवा एवं वेलफेयर ट्रस्ट से है।

(ख) "ट्रस्टी" का तात्पर्य : जय सन्त पति जी शिक्षण सेवा एवं वेलफेयर ट्रस्ट के "बुलन्दशही" से है।

(ग) "ट्रस्ट कार्यपालक" का तात्पर्य ट्रस्ट की विचार सभा से है।

(घ) "गैर न्यायिक ट्रस्ट कार्यपालक" का तात्पर्य ट्रस्ट की विचार सभा के सदस्यों से है।

(ङ) "लेजिस्लेटिव ट्रस्ट कार्यपालक" (Legislative trust council) का तात्पर्य ट्रस्ट की कार्यपालक सभा से है।

अम्बुसिंह



महामहिशक

जय सन्त पति जी शिक्षण सेवा एवं वेलफेयर ट्रस्ट
 ग्राम-सभवा बहादुरपुर, पोस्ट-अखौव, बलिया(उप्र)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास

रुपये

₹. 50

भारत

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 555363

- (ग) "मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव ट्रस्ट काउन्सिल" (Member of Legislative trust council) वा ट्रस्ट ट्रस्ट की व्यवस्थापक सभा के सदस्यों से है।
- (घ) "एक्जिक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल" (Executive trust council) वा ट्रस्ट ट्रस्ट के कार्य संपादनी से है।
- (ङ) "मेम्बर ऑफ एक्जिक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल" (Member of Executive trust council) वा ट्रस्ट ट्रस्ट के कार्य संपादनी से है।
- (च) "बोर्ड" (Board) वा ट्रस्ट ट्रस्ट के एक परिषद से है, जिसे किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु ट्रस्ट की व्यवस्थापक सभा द्वारा गठित कर उस प्रयोजन को सम्पन्न करने का अधिकार दिया जाय।
- (ज) "सम्बद्ध समिति" वा ट्रस्ट ट्रस्ट से है जो विशेषता से संबंधित उद्देश्यों हेतु ट्रस्ट ट्रस्ट के अन्तर्गत गठित हो तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट ट्रस्ट से सम्बद्ध प्रदान किया हो।
- (झ) "महानिदेशक" (Director General) वा ट्रस्ट ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा गठित व्यक्ति विशेष से है।
- (ञ) "निदेशक" से ट्रस्ट ट्रस्ट प्रबंध (व्यवस्थापक सभा) द्वारा गठित वा मुख्य ट्रस्टी द्वारा गठित व्यक्ति विशेष से है।
- (ट) "सचिव" से ट्रस्ट ट्रस्ट के विभिन्न अंगों के अलग-अलग गठित वा गठित व्यक्ति से है।

अन्वयित



महानिदेशक

उप सचिव जो विश्व बैंक एवं फिनिश ट्रस्ट
एवं-नगर कार्डेनर केन्द्रिय बँक/बँक/बँक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EG 555366

ट्रस्ट की स्मृति पत्र


1. ट्रस्ट का नाम : जय सन्त पाति जी शिक्षण सेवा एवं वेलफेयर ट्रस्ट ।
2. ट्रस्ट का पता : ग्राम बरनावा बहादुरपुर, पोस्ट अखोप, तहसील बेल्वाघाट, जिला बलिया (UP), पिन - 221715
3. ट्रस्ट का कार्यालय : सम्पूर्ण भारतवर्ष और विदेशों में भी ट्रस्ट कार्य कर सकेगा।

ट्रस्ट का उद्देश्य-

- 1- भारतीय संस्कृति परम्परा को अक्षय पर सदा जीवन उन्नय विचार पर अन्वयित प्रारम्भिक विद्यालय से लेकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, संरक्षण एवं विविध संस्थाओं व विविध महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं संचालन करना जिससे भारतीयता, सामाजिकता, सन्मान, स्वदेश प्रेम, समाज सेवा आदि की भावना उत्पन्न हो।
- 2- साहित्यिक, वैज्ञानिक, भवनैकानिक, भौतिक, भाषा, ज्ञान, प्रकृति, प्राणी, पत्र, जंगल आदि विषयों पर कार्य करना।
- 3- भविष्य होम की स्थापना करना, ट्रस्ट दीर्घकालीन आयदा में जिला व राज्य पञ्चानन एवं स्वयं सहाय से राशन-समाज एवं आयसहायानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय सामन्त स्थापित कर कल्याणकारी, योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी किसी भूमि को कृषि-विकास करना तथा आयसहायानुसार इस ट्रस्ट को संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना एवं बीटीसी, पीएच, बीपीएच, टैमिकल फासेज, सीपीएच, आईपीएच, एन एचपी, जीपीटी, तथा

अनुमति




 महासचिव
 जय सन्त पाति जी शिक्षण सेवा एवं वेलफेयर ट्रस्ट
 ग्राम-बरनावा बहादुरपुर, तहसील-बेल्वाघाट, जिला-बलिया

भारतीय गैर न्यायिक

पचास

रुपये

₹. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश **UTTAR PRADESH**

BG 555367

एन.जी.सी.ए. (N.J.C.E.), एन.जी.सी.ए.ए. (N.J.C.E.E.), एन.जी.सी.ए.ए.ए. (N.J.C.E.E.E.) द्वारा संगठित सभी भारतीयों को संबोधित करने वाले चतुर्थ एवं अंतिम विभिन्न विभागीयताओं की स्थापना, संरक्षण, संरक्षण एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक न्यायिक असाध्य एवं सामाजिक सेवाओं की स्थापना करना (संगठन करना)। देश-विदेश से पंजा आदि प्रांत बनना एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष से संबंध में अन्य जो भी संस्थाएं चलेती जायेगी उनका नाम ट्रस्ट की कार्यवाही द्वारा तब तक प्रयोग। फिर सरकारी संगठन (एन.जी.सी.ए.) के संरक्षित राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय नामों का भी सम्पादन करना। सभी की शिक्षा व्यवस्था को संचालित, न्यायिक एवं ट्रेडिंग कार्य करना।

4- छात्रावास, पुस्तकालय, पाठशाला, विभिन्न विभाग एवं शोध हेतु प्रयोगशालाएं, आदि स्थापित एवं संचालित करना तथा राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास एवं प्रसार-प्रसार करना। सभी की शिक्षा व्यवस्था को संचालित न्यायिक करना।

5- पत्रिका-संस्थाओं में अनुसंधानात्मक काम की शिक्षा प्रदान करने की भावना रखना करना एवं जो-एवमुक्तान पर आधारित विभिन्न प्रयोग व शोध आदि संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।

6- अधिकतम रूप से वास्तव एवं अस्थायी लोगों को अधिकतम सहायता प्रदान करना। ट्रस्ट की संचालित सदस्यों, पदाधिकारी तथा सभी कार्यवाही के अधिकार, अधिकारिता, आदि प्रकार की सुविधा प्रदान करना तथा ही ट्रस्ट की कुछ सदस्यों पदाधिकारियों, कार्यवाही के अधिकार हेतु पदम-पदम, पदम-पदम, अधिक हेतु न्याय करना, ट्रस्ट की स्थापना करने एवं संरक्षण देने हेतु विभिन्न व्यवस्थाएं एवं मदद करना।

अन्वयित



प्रधानिदेशक

उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा एवं विकास हेतु
एन.जी.सी.ए.ए.ए. (N.J.C.E.E.E.)

नाम अरवि, पता ...
 राज्य ... जिला ...
 विभाग ...
 राज्य की धरती
 साक्षरता की अर्थि 21 मार्च 2016

सचिव, राज्य मंत्रालय,
 राज्य शिक्षण विभाग, नई दिल्ली-110014

क्रम संख्या 21/12/2016 को
 पृष्ठ सं. 4 दिनांक 28
 पृष्ठ सं. 169 से 242 तक का संख्या 58
 निर्दिष्ट किया गया है।

श्री ...
 श्री ...
 श्री ...
 21/12/2016



श्री ...
 राज्य शिक्षण विभाग, नई दिल्ली-110014